

राजस्व § गुप्त-6 § विभाग

क्रमांक:- प. 5§3§राज-4/74/राज"6/25

जयपुर, दिनांक:- 17.7.2000

:- अधिसूचना :-

राजस्थान कृषि शक्ति अधिनियम, 1957§राजस्थान अधिनियम संख्या 28 वर्ष 1957§ की धारा 3 समितित राजस्थान कृषि शक्ति अधिनियम, 1957 के नियम 5 के उप-नियम§1§ के अनुसरण में इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प. 5§3§राज-4/74/राज-6/38 दिनांक 22. 11. 95 की अनुसूची में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

अनुसूची में "§1§ अजमेर न्यायालय§अजमेर जिला§ " शीर्षक के अन्तर्गत क्रम संख्या 4 के बाद एवं क्रम संख्या 5 के पूर्व नयी क्रम संख्या एवं प्रविष्टि निम्नानुसार जोड़ी जाती है:-

"4क सिविल जज §व0उ0§ केकडी न्यायालय के सामान्य सिविल 25000 से अधिका रिता क्षेत्र को प्रादेशिक अधिक सोमा ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

§ शिव कुमार शर्मा §  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मुख्य मंत्री/राजस्व मंत्री/मुख्य सचिव/राजस्व सचिव/
2. निजी सचिव, विशिष्ट सचिव, राजस्व / शासन उप सचिव, राजस्व।
3. समस्त जिलाधीशा
4. न्याय विभाग को उनके पत्रांक . . . . . 2§1§न्याय/97 दिनांक 30. 5. 2000 के क्रम में ।
5. संबंधित न्यायालय।
6. राजस्व विभाग के समस्त अनुभाग ।
7. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर
8. विधि § संहिताकरण§ विभाग।
9. स्वस्थ एवं पत्राति विभाग
10. विधि विभाग की अनुवाद शाखा को ।
11. निदेशक, राज्य केन्द्रीय पुष्पालय जयपुर राजपत्र विशेषांक दिनांक में प्रकाशनार्थ ।
12. श्री एच0सी0 भाथुर इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन राजस्थान, जयपुर ।
13. आल परपज रेवेन्यु ट्रेनिंग स्कूल, टोंक ।
14. "राविरा " राजस्व मण्डल, अजमेर । 15. निदेशक, आर0आर0टी0आई0, अजमेर
15. रचित पत्रावली ।

राजस्थान कृषि शक्ति अधिनियम, 1957 § 17/7/2000  
शासन उप सचिव